न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 148/2019

वादीगण –

1. फैफादेवी पत्नि रामनिवास जाति–जाट, निवासी–खिंयाला, तहसील–जायल(नागौर)
2. सीतादेवी पत्नि चतराराम जाति–जाट, निवासी–सिलनवाद, तहसील–लाडनूं(नागौर)
3. केशरदेवी पत्नि गोपालराम जाति–जाट, निवासी सिलनवाद, तहसील–लाडनूं(नागौर)
4. आशीदेवी पत्नि हरिराम जाति–जाट, निवासी–सिलनवाद, तहसील–लाडनूं(नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. फुली पत्नि स्व. किशनाराम
   जाति–जाट निवासी–अड़सींगा, तहसील–जायल (नागौर)
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री बस्तीराम ढाका एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 21/09/2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वंशावली दर्शाते हुये जरिये अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा के पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। इनके पुश्तैनी बडेर के खेत जिनपर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है, जो ग्राम अड़सींगा तहसील जायल में खसरा नं. 113, 123, 125 के रूप में स्थित है। सामुहिक खेती निभ नहीं पाने से पक्षकारान ने सवंत् की आखातीज को राजी–खुशी वाद के पेरा संख्या 3 (अ, ब, स) अनुसार बंटवारा कर काबिज काश्त हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। दौराने वाद ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 13.08.2020 को उपस्थित होकर नामा राजीनामा पेश किया, जिसमें वादीगण की पहचान वकील मुन्नीलाल कड़वासरा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान वकील श्री वस्तीराम ढाका ने की। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित जो हस्तगत प्रकरण में केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) तय की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये।

दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम अड़सीगा तहसील जायल संवत् 2071–2074 खाता संख्या 124/151 प्रदर्श–1 की पेश की। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में पक्षकारान के मध्य राजीनामें में वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के मध्य हुये राजीनामें पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है। जमाबंदी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जमाबंदी मे वादीगण का नाम दर्ज नहीं तथा वादीगण को वाद पत्र में वादीगण पक्षकार संयाजित किया है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पैरा संख्या 2 के अनुसार खसरा नं. 113, 123, 125 में वर्णित भूमि का राजीनामें क अनुसार एवं वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शानुसार घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा चाहा है। अतः ग्राम अड़सीगा तहसील के खसरा नं. 113, 123, 125 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ आपसी राजीनामें के अनुसार सहखातेदारघोषित किया जाना तथा उक्त जमाबंदी में अंकित खसरान की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये माफिक राजीनामें से के अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजीनामें से मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी बढेर की होना सम्पुष्ट होती है। फलतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये वाद वादीगण न्यायिक दृष्टिकोण से माफिक राजीनामा व नेजरी नक्शानुसार वाद पत्र स्वीकार जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम अड़सींगा तहसील जायल के खसरा नं. 113, 123, 125 के संबंध में वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

1. वादी फैफादेवी के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा अड़सीगा तहसील जायल के खसरा नं. 125 रकबा 21.14 बीघा में से 11.04 पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी सीता देवी के बंट में मौजा अड़सींगा तहसील जायल के खेत खसरा नं. 125 रकबा 21.14 बीघा में से 10.10 बीघा पूर्वी हिस्सा वाद के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
3. वादी केशरदेवी, आशी व प्रतिवादी संख्या 1 फुली के शामलाती व सहखातेदारी में मौजा अड़सींगा तहसील जायल के खसरा नं. 113 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 123 रकबा 18.15 बीघा माफिक नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/09/2020
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर
एस.डी.ओ. जायल

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 148/2019

वादीगण –

1. फैफादेवी पत्नि रामनिवास जाति–जाट, निवासी–खिंयाला, तहसील–जायल(नागौर)
2. सीतादेवी पत्नि चतराराम जाति–जाट, निवासी–सिलनवाद, तहसील–लाडनूं(नागौर)
3. केशरदेवी पत्नि गोपालराम जाति–जाट, निवासी सिलनवाद, तहसील–लाडनूं(नागौर)
4. आशीदेवी पत्नि हरिराम जाति–जाट, निवासी–सिलनवाद, तहसील–लाडनूं(नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. फुली पत्नि स्व. किशनाराम जाति–जाट निवासी–अड़सींगा, तहसील–जायल
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री बस्तीराम ढाका एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1, 2 हाजरी इस्लामुदीन काजी प्रतिवादी संख्या 03 व 04 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी फैफादेवी के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा अड़सीगा तहसील जायल के खसरा नं. 125 रकबा 21.14 बीघा में से 11.04 पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी सीता देवी के बंट में मौजा अड़सींगा तहसील जायल के खेत खसरा नं. 125 रकबा 21.14 बीघा में से 10.10 बीघा पूर्वी हिस्सा वाद के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
3. वादी केशरदेवी, आशी व प्रतिवादी संख्या 1 फुली के शामलाती व सहखातेदारी में मौजा अड़सींगा तहसील जायल के खसरा नं. 113 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 123 रकबा 18.15 बीघा माफिक नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

राजस्व वाद 148/2019
फैफादेवी बनाम फुलीदेवी वगैरह

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/09/2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

21/9/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल